Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

तरूण अग्रवाल बनाम **लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **065** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई है। अपीलार्थी तरूण अग्रवाल निवासी 332/31 पटेल नगर तोपदडा अजमेर की और से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक **23.08.2022** के संबंध में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत अपील अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2022 के संबंध में प्रस्तुत की गई है जो कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को दिनांक 26.08.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/ लोसूअ/2022/321 दिनांक 29.08.2022 से आवेदक/अपीलार्थी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण यथा आदेश दिनांक/पत्रांक आदि से आगामी सात दिवस में अवगत कराये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। अपीलार्थी के अपील मेमों वर्णित तथ्यों का खण्डन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से ही हो जाता है, इसके साथ ही हस्तगत अपील आवेदन प्रस्तुती दिनांक 23.08.2022 एवं आवेदन प्राप्ति दिनांक 26.08.2022 की अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित समयावधि से पूर्व प्रस्तुत की गई है जो कि अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर इस न्यायालय में वर्तमान स्थिति में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को उक्त निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील वर्तमान स्थिति में ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, इसके साथ ही अपीलार्थी को अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना पत्र के संदर्भ में कार्यवाही करावें। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें, एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को भी सूचनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official